:: आदेश ::

शासनादेश संख्या–563 / XVIII-B-1/2025-12(02)/2024 दिनांक 16.05.2025 से वित्तीय वर्ष–2025–26 में नॉन एस0डी0आर0एफ0 (NON SDRF) निधि अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त निम्न कार्य योजना के मरम्मत हेतु कार्यदायी संस्था **सिंचाई विभाग, पिथौरागढ़** को 01 **कार्ययोजना** के सापेक्ष **₹ 5.90 लाख (₹ पॉच लाख नब्बे हजार मात्र)** की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क0 स0	तहसील / खण्ड / ग्राम का नाम / स्थान का नाम	कार्य योजना का नाम	कार्यदायी संस्था	आंगणन की लागत रू0 लाख में	जिला मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	बेरीनाग / बेरीनाग / चौड़मन्या / आगडियागाड़	दैवीय आपदा के अन्तर्गत अंगडियागाड़ नहर की मरम्मत का कार्य। रीच 2. 500–3.000कि0मी0,	सिंचाई विभाग, पिथौरागढ़	9.86	5.90
		योग		**9.86**	**5.90**

प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा / आहरण वितरण अधिकारी, जिला कार्यालय, पिथौरागढ़ उक्त स्वीकृत कुल धनराशि **₹ 5.90 लाख (₹ पॉच लाख नब्बे हजार मात्र)** को कोषागार से आहरित करना सुनिश्चित करें। **सिंचाई विभाग, पिथौरागढ़** को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग निम्न प्रतिबन्धों के अनुसार तत्काल कराना सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्था द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त उक्त योजना को Geo tagging से कराया जाना अनिवार्य होगा।

जनहित में नॉन एस0डी0आर0एफ0 **(NON SDRF)** निधि अन्तर्गत में आवंटित बजट के सापेक्ष अधिकतम कार्ययोजनाओं को धनराशि वितरित की जा रही है। कार्यदायी संस्था उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं में आवंटित की जा रही धनराशि में से यदि किसी कार्य योजना का कार्य पूर्ण न होने की दशा में अवशेष धनराशि अपने विभागीय बजट व अन्य मदों से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें।

1– आंगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग को अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।

2– कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करेंगें ।

3– कार्य कराने से पूर्व संबंधित कार्यदायी संस्था स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग जनहित में आपदा प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सहायता हेतु प्रभावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है ।

22/08/25 Cashier

13— उपरोक्त निर्देशानुसार धनराशि आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंगणन/तकनीकी परीक्ष उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, समय-सम पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रकिया का अनुपालन न होने पर संबंधि अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप स उत्तरादायी रहेंगे ।

14— कार्यदायी संस्था **सिंचाई विभाग, पिथौरागढ़** द्वारा नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पृ करने उपरान्त प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3 में सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध करा होगी। निर्धारित की गई अवधि के अन्दर औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने पर कार्यदा संस्था के विरूद्ध होने वाली कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।

15— कार्यदायी संस्था को कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य के मध्य, कार्य पूर्ण होने के पृथक-पृथ फोटोग्राफ उपयोगिता प्रमाण पत्र 45 दिन अन्तर्गत संलग्न कर इस कार्यालय को उपल कराना होगा ।

16— संबंधित कार्यदायी संस्था सभी अभिलेख सम्परीक्षा हेतु अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें जिला कार्यालय के दैवी आपदा अनुभाग में महालेखाकार/राजस्व परिषद द्वारा सम्परी किये जाने पर अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा

17— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित-2017 का अनुपाल करना सुनिश्चित किया जाय।

दिनांक 06 अगस्त, 2025

ह/-
(विनोद गोस्वामी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पिथौरागढ़।

संख्या-1389/नॉन एस0डी0आर0एफ0/आ0प्र0/2025-26 दिनांक 18 अगस्त, 20

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1— **अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, पिथौरागढ़।**
2— सचिव, आपदा प्रबन्धन,उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3— महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून ।
4— उप जिलाधिकारी, धारचूला ।
5— मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
6— कार्यालय प्रति ।

प्रभारी अधिकारी,(दैवीय आपद
कृते जिलाधिकारी, पिथौरागढ